



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 999]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2008/आषाढ़ 27, 1930

No. 999]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2008/ASADHA 27, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2008

का.आ. 1714(अ)—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने हेतु नीचे की सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकारों के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी को विनियमित करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्रम. सं.	प्रकार	किस्में
(1)	(2)	(3)
1.	मटर	विवेक मटर-10 (वीपी 101)
2.	सो पी	स्वर्ण त्रिपि
3.	वेजिटेबल सोयाबीन	स्वर्ण वसुंधरा
4.	आलू	कुफरी गिरधारी (एसएम/93-237)
5.	नारियल	कल्प रक्षा (सीसीएस-7)

(1)	(2)	(3)
6.	नारियल	कल्प प्रतिभा (आईएनडी 0168) (सीसीएस-4)
7.	नारियल	कल्प मित्र (आईएनडी 022 एस) (सीसीएस-5)
8.	नारियल	कल्प धेनु (आईएनडी 006 एस) (सीसीएस-6)
9.	बैंगन	स्वर्ण नीलिमा (एचएबीएच-17)
10.	लोबिया	काशी कंचन (वीआरसीपी-4)
11.	लोबिया	स्वर्ण हरित (आईसी 285143)
12.	टमाटर	स्वर्ण विजया (एचएटीएच-5)
13.	आलू	कुफरी सदाबहार (एमएस/93-1344)
14.	अरबी	इंदिरा अरबी-1
15.	खरबूजा	पंजाब अनमोल
16.	गाजर	पीसी-34
17.	नाशपाती	पंजाब सॉफ्ट
18.	अंगूर	पंजाब परपल
19.	दिल्ल (एनेथम सोवा कुर्ज)	सीडी-3 (गुजरात दिल्ल-3)

[फा. सं. 17-11/2007-एसडी-IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2008

S.O. 1714 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :—

TABLE

Sl. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Pea	Vivek Matar-10 (VP 101)
2.	Snow Pea	Swarna Tripti
3.	Vegetable Soybean	Swarna Vasundhra
4.	Potato	Kufri Girdhari (SM/93-237)

(1)	(2)	(3)
5.	Coconut	Kalparaksha (CCS-7)
6.	Coconut	Kalpa Pratibha (IND 0168) (CCS-4)
7.	Coconut	Kalpa Mitra (IND 022S) (CCS-5)
8.	Coconut	Kalpa Dhenu (IND 006S) (CCS-6)
9.	Brinjal	Swarana Neelima (HABH-17)
10.	Cowpea	Kashi Kanchan (VRCP-4)
11.	Cowpea	Swarna Harita (IC 285143)
12.	Tomato	Swarana Vijaya (HATH-5)
13.	Potato	Kufri Sadabahar (MS/93-1344)
14.	Colocasia	Indira Arvi-1
15.	Muskmelon	Punjab Anmol
16.	Carrot	PC-34
17.	Pear	Punjab Soft
18.	Grapes	Punjab purple
19.	Dill (Anethum sowa Kurz)	CD-3 (Gujarat Dill-3)

[F. No. 17-11/2007-SD-IV]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.